ए.

विशाल अश्विन पटेल बनाम.

आय कर चक्र के सहायक आयुक्त 25 (3) और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील संख्या 2022 की 2200) 28 मार्च, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

निर्णय/आदेश:तर्कपूर्ण/बोलने वाला आदेश-रिट याचिका दायर करके अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा चुनौती दिए गए मूल्यांकन को फिर से खोलना-उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया-रिकॉर्ड पर प्रस्तुत रिट याचिकाओं से, ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्यांकन को फिर से खोलने को कई आधारों पर चुनौती दी गई थी-रिट याचिकाओं में उठाए गए किसी भी आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर विचार नहीं किया गया था और/या विचार नहीं किया गया था-रिट याचिकाओं में उठाए गए किसी भी आधार पर कोई चर्चा नहीं हुई थी-उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को सबसे आकस्मिक तरीके से खारिज कर दिया जो अस्थिर है-यह कहने के अलावा कि 'हम रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं', उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए अनिच्छा के कारण देने के अलावा और कुछ नहीं कहा गया था-उच्च न्यायालय ने निम्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए -

अपीलों को अनुमति देना और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करना**,** न्यायालय

पकड़ना:**1.** रिट याचिकाओं में उठाए गए किसी भी आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया है और/या विचार नहीं किया गया है।रिट याचिकाओं में उठाए गए किसी भी आधार पर कोई चर्चा नहीं हुई है।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिकाओं को सबसे आकस्मिक तरीके से खारिज कर दिया है जो अस्थिर है। सिवाय यह कहने के कि 'हम ए का मनोरंजन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं

जी.

एच.

814

815

विशाल अश्विन पटेल बनाम आय कर आयुक्त 25 (3) और ओ. आर. एस.

'रिट याचिका', उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए अनिच्छा के कारण बताते हुए आगे कुछ नहीं कहा गया है।जिस तरह से उच्च न्यायालय ने किसी भी तर्कपूर्ण आदेश को पारित किए बिना रिट याचिकाओं को निपटाया और उनका निपटारा किया है, इस न्यायालय द्वारा सराहना नहीं की जाती है।जब रिट याचिकाओं में कई मुद्दे/आधार उठाए गए थे, तो अदालत पर यह कर्तव्य डाला गया था कि वह उनसे निपटे और उसके बाद, एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करे।जब संविधान उच्च न्यायालयों को राहत देने की शक्ति प्रदान करता है तो उचित मामलों में ऐसी राहत देना न्यायालयों का कर्तव्य बन जाता है और यदि पर्याप्त कारणों के बिना राहत देने से इनकार कर दिया जाता है तो न्यायालय अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहेंगे।**[**पारस **2,1.1] [816-**एच**; 817-**ए**-**डी**]**

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से विचार करना आवश्यक था कि क्या मूल्यांकन को फिर से खोलने का सवाल एक रिट याचिका में उठाया जा सकता है और यदि ऐसा है, तो क्या यह उचित था या नहीं।आदेश तर्कहीन हैं क्योंकि पक्षों द्वारा विभिन्न आधारों का आग्रह किया गया था/उठाए गए थे जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा पहली बार में जांच की जानी चाहिए थी और संबंधित दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता थी।**[**पैरा **2.2,3] [817-**डी**-**ई**; 818-**बी**-**सी**]**

सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाम इंदौर कम्पोजिट प्राइवेट

लिमिटेड, (2018) 8 एससीसी 443:[2018] 7 एससीआर 1130; संघ

लोक सेवा आयोग बनाम बिभू प्रसाद सारंगी और

ओआरएस., (2021) 4 एससीसी 516-पर भरोसा किया।मामला कानून संदर्भ

[2018] 7 एससीआर **1130**

उस पर भरोसा करें

पैरा **2.3**

(2021) 4 एस**.** सी**.** सी**. 516**

उस पर भरोसा करें

पैरा **2.4**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 2200।

2019 की रिट याचिका No.3209 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.01.2022 से।

जी.

के साथ

2022 की सिविल अपील संख्या 2201,2202 और 2203।

एच.

816

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

ए.

देवेंद्र जैन, सुश्री राधा हल्बे, रजत मित्तल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

बीर सिंह, ए. एस. जी., रुपेश कुमार, श्याम गोपाल, सुश्री आकांक्षा कौल, सुश्री प्रीति रानी, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं Nos.3209/2019,3150/2019,3208/2019 और 3137/2019 में पारित किए गए विवादित आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय

की खंड पीठ ने उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें अपीलार्थीगण-मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को फिर से खोलने को चुनौती दी है, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. हमने संबंधित अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देवेंद्र जैन और राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह को सुना है।हमने रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित संबंधित आदेशों का अध्ययन किया है।रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखने के बाद, यह देखा जा सकता है कि उक्त आदेश गुप्त, गैर-भाषी और गैर-तर्कपूर्ण आदेश हैं। 11.01.2022 दिनांकित आदेश इस प्रकार हैः- "1. हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।साथ ही, निर्धारण अधिकारी जो उस अधिकारी से अलग होगा जिसने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 148 के तहत फिर से खोलने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज करते हुए 10 अक्टूबर, 2019 का आदेश पारित किया था, याचिकाकर्ता को सलाह दिए जाने पर आगे के दस्तावेज और मामला कानून दायर करने की अनुमति देगा और मूल्यांकन आदेश पारित करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई भी करेगा।इस आदेश को अपलोड करने की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर मूल्यांकन आदेश पारित किया जाना है।याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख और समय के बारे में कम से कम सात दिन पहले सूचना दी जाएगी।

2. निर्धारण अधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा की गई सभी दलीलों पर विचार करेगा, जिसमें पुनः खोलने पर उनकी आपत्तियां भी शामिल हैं और कानून के अनुसार विस्तृत आदेश पारित करेगा।"

जी.

अभिलेख पर प्रस्तुत रिट याचिकाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत मूल्यांकन को फिर से खोलने को कई आधारों पर चुनौती दी गई है।किसी भी आधार ने ए नहीं उठाया

एच.

रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया है और/या विचार किया गया है।रिट याचिकाओं में उठाए गए किसी भी आधार पर कोई चर्चा नहीं हुई है।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिकाओं को सबसे आकस्मिक तरीके से खारिज कर दिया है जो अस्थिर है।यह कहने के अलावा कि 'हम रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं', उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए अनिच्छा के कारण बताते हुए आगे कुछ नहीं कहा गया है।

2.1 जिस तरह से उच्च न्यायालय ने किसी भी तर्कपूर्ण आदेश को पारित किए बिना रिट याचिकाओं को निपटाया और उनका निपटारा किया है, इस न्यायालय द्वारा सराहना नहीं की जाती है।जब रिट याचिकाओं में कई मुद्दे/आधार उठाए गए थे, तो अदालत पर यह कर्तव्य डाला गया था कि वह उनसे निपटे और उसके बाद, एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करे।जब संविधान उच्च न्यायालयों को राहत देने की शक्ति प्रदान करता है तो उचित मामलों में ऐसी राहत देना न्यायालयों का कर्तव्य बन जाता है और यदि पर्याप्त कारणों के बिना राहत देने से इनकार कर दिया जाता है तो न्यायालय अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहेंगे।

2.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से विचार करना आवश्यक था कि क्या मूल्यांकन को फिर से खोलने का सवाल एक रिट याचिका में उठाया जा सकता है और यदि ऐसा है, तो क्या यह उचित था या नहीं।

2.3 एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए,

केंद्रीय न्यासी बोर्ड बनाम इंदौर कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड, (2018) 8 एस. सी. सी. 443 के मामले में यह माना गया है और इसके द्वारा आयोजित किया गया है।

न्यायालय ने कहा कि अदालतों को प्रत्येक मामले में एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता है जिसमें एल. आई. एस. के पक्षकारों के मामले के नंगे तथ्यों का वर्णन, मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे, पक्षों द्वारा आग्रह किए गए प्रस्तुतिकरण, शामिल मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांत और मामले में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर निष्कर्षों के समर्थन में कारण और इसके निष्कर्ष के समर्थन में पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय में आगे यह देखा गया है कि तर्कहीन आदेश पक्षों के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनता है क्योंकि यह उन्हें यह जानने से वंचित करता है कि एक पक्ष क्यों जीता है और दूसरा क्यों हारा है।

जी.

2.4 संघ लोक सेवा के मामले में हाल के निर्णय में

आयोग बनाम बिभू प्रसाद सारंगी और अन्य**, (2021) 4** एससीसी

516 , भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले कारणों पर जोर देते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि कारण न्यायिक निर्णय की आत्मा का गठन करते हैं और न्यायाधीश अपने निर्णय में कैसे संवाद करते हैं।

एच.

818

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

न्यायिक प्रक्रिया की विशेषता को परिभाषित करना क्योंकि न्याय की गुणवत्ता न्यायपालिका के लिए वैधता लाती है।यह आगे देखा गया है कि यद्यपि मामलों के निपटारे के आंकड़े उच्च मूल्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, निर्णय की आंतरिक सामग्री है।यह आगे देखा गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में अदालतों को शामिल मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवश्यकता होती है।3. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में दिए गए कानून को लागू करते हुए मामले के तथ्यों और जिस तरह से उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं का निपटारा किया है, उस पर संयम के हित में, हम केवल यह ध्यान दे सकते हैं कि आदेश तर्क से रहित हैं क्योंकि पक्षों द्वारा विभिन्न आधारों का आग्रह किया गया था/उठाए गए थे जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा पहली जगह में जांच की जानी चाहिए थी और प्रासंगिक दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता थी।

4. चूंकि हम उस तरीके को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, जिसने हमें गुण-दोष के आधार पर रिट याचिकाओं पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए मजबूर किया है, हम उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में ऐसा करते हैं।

5. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम वर्तमान अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों को दरकिनार करते हैं और ऊपर की गई अपनी टिप्पणियों को

ध्यान में रखते हुए, कानून के अनुसार रिट याचिकाओं पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय की खंड पीठ को भेजते हैं।हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने विवाद के गुण-दोष पर कोई भी टिप्पणी करने से परहेज किया है, केवल ऊपर उल्लिखित कारणों से मामलों को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए एक राय बनाई है।इसलिए, उच्च न्यायालय, ऊपर की गई हमारी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सख्ती से कानून के अनुसार, रिट याचिकाओं पर निर्णय लेगा।

उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है और विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है।उपरोक्त मामलों को उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है।कोई लागत नहीं।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

जी.

एच.